

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1167

दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध के बढ़ते मामले

+1167. एडवोकेट अद्वर प्रकाश:

श्री जय प्रकाश:

श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 'डिजिटल अरेस्ट' के रूप में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों की जानकारी है, जहां साइबर अपराधी स्वयं को जांच अधिकारी बताते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या कितनी है और कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) क्या सरकार आरबीआई के परामर्श से इस विशेष प्रकार की वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक पूर्ण सुरक्षा का उपयोग करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नागरिकों को इस संबंध में जानकारी प्रदान करने, निगरानी बढ़ाने और साइबर अपराधों से लड़ने के लिए प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच घनिष्ठ समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए

प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा डिजिटल अरेस्ट के रूप में साइबर अपराध के संबंध में विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट समेत साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।
- ii. केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले पर अखबार में विज्ञापन, डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधियों की अन्य कार्यप्रणालियों पर दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, डिजिटल गिरफ्तारी पर विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में अभियान, डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम और डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर नागरिकों को शिक्षित करने के लिए दिनांक 27.11.2024 को कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में राहगिरी समारोह में भाग लिया जाना आदि शामिल हैं।
- iii. आई4सी ने डिजिटल गिरफ्तारी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 1700 से अधिक स्काइप आईडी और 59,000 व्हाट्सएप खातों की सक्रिय रूप से पहचान की और उन्हें ब्लॉक कर दिया।

- iv. केंद्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस, एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों का छद्म भेष धारण करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा 'ब्लैकमेल' और 'डिजिटल गिरफ्तारी' की घटनाओं के खिलाफ अलर्ट पर एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की है।
- v. केंद्र सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) ने एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसके तहत ऐसी फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉलों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें ब्लॉक किया जा सकेगा, जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित होता है और जो भारत से आती हुई प्रतीत होती हैं। फर्जी डिजिटल गिरफ्तारियों, फेडेक्स घोटालों, सरकारी और पुलिस अधिकारियों के रूप में छद्मवेश धारण करने आदि के हाल के मामलों में साइबर-अपराधियों द्वारा इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल की गई हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- vi. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
- vii. दिनांक 15.11.2024 तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1,32,000 आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।
- viii. समन्वय प्लेटफॉर्म कार्यरत है जो कि साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और एलईए के लिए समन्वय मंच के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है।
- ix. बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है।

- x. केंद्र सरकार ने <https://cybercrime.gov.in> पर 'रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट' नामक एक नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा नागरिकों को 'संदिग्ध खोज' के माध्यम से साइबर अपराधियों के पहचान संबंधी आई4सी के भंडार में खोजने के लिए एक खोज विकल्प प्रदान करती है।
- xi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय संबंधी कार्यवाहियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साथ लेकर साइबर अपराध संकेंद्रित स्थलों (हॉटस्पॉट)/ बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दों वाले क्षेत्रों के आधार पर, पूरे देश को कवर करते हुए मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम, और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है। जेसीसीटी के लिए सात कार्यशालाएं हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, लखनऊ, रांची और चंडीगढ़ में आयोजित की गईं।
- xii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (<https://cybercrime.gov.in>) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।
- xiii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' शुरू की गई है। अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों में 3431 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।
- xiv. आई4सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 7,330 अधिकारियों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।
- xv. आई4सी ने एनसीसी और एनएसएस के क्रमशः 40,151 और 53,022 से अधिक कैडेटों को साइबर स्वच्छता प्रशिक्षण प्रदान किया है।

- xvi. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (cyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c), रेडियो कैंपेन के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं। आरबीआई भी सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के बारे में जनता के बीच जन जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।
